रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बुधवार, 14, मई 1986/वैशाख 24, 1908
No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 1986/VAISAKHA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 मई, 1986

सार्वजनिक सूचना सं. 96 आई टी सी (पी एन)/85–88

विषय : 1985-86 के लिए 1.584 बिलियन येन की जापानी ऋण-राहत अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें।

फा. सं. आई पी सी/23(28)/85-88—1985-86 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में 1.584 बिलियन येन (ऋण राहत) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत आयातों पर शासित होने वाली शर्तें जैसी कि इस सार्वजनिक सूचना में दी गई है जानकारी के लिए अधिसूचित की जा रही है।

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 96 आई टी सी (पी एन)/85—88 दिनांक 14-5-86 का परिशिष्ट।

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1985-86 के लिए येन 1.584 बिलियन येन 1,584,516,000 (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड 1. सामान्य शर्तें

1(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई येन 1.584 बिलियन जापानी अनुदान सहायता ओ ई सी डी और विकासशील देशों के हक में संगठित की गई है। तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है। वे देश इस अनुदान के अंतर्गत पात्र स्रोत देश होंगे। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मदें आयात की जा सकती है उनकी सूची अनुबंध 2 में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1985–86 के लिए येन 1.584 बिलियन जापानी अनुदान सहायता" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एस/जे.एन" होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के लिए आयात लाइसेंस के अग्रेषित पत्र में भी दुहराए जायेंगे।

1(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता को कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जायेंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंस धारी को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों की लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर) अवर सचिव (टी सी) आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत समर्पित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रय संविदा हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश और या भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदन पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते है। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वें लाइसेंसधारियों को प्रेषित करेंगे।

पोत लदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1987 के बाद की न हो।

खण्ड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :

2(1)(क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या यू एस. डालर या पौण्ड स्टर्लिंग से एक येन, एक सेंट या एक पैनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहां पर्यन्त निःशुल्क लागत बीमा-भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निदिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख). संविदा में नकद आधार पर अर्थात बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग). क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिएं।

2(2) आयात लाइसेंस के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

2(3) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों का नागरिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खंड-3-संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिये :—

3(1) 1985-86 के लिये येन 1.584 बिलियन के अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 18-2-86 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार दी गई है।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र" (ए बी) के माध्यम से किया जायेगा जो 1985-86 के लिये जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जायेगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों।

3(4) उस मामले में, जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिये संबंधित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिये कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवायेगा जिससे उचित व्यवस्था की जाये और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिये।

खंड-4-भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :—

4(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिये जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र पार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिये गये क्रय आदेश के साथ समुद्र पार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध-3 के प्रपत्र में "ए पी" जारी करने के आवेदन की दो प्रतियों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां अवर सचिव (टी सी), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिये। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिये भी लागू होंगी।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/पी" जारी करने के लिये "आवेदन-पत्र" और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सैट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास, टोकियो और भारत में जापान के राजदूतावास को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिये अनुबन्ध-4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने

के लिये "भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र (ए पी)" जारी करेगा। ए पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जायेगी।

4(4) भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक के भारत में बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत करायेगा।

4(5) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाये गये तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित अपने बैंकरों के माध्यम से संभरक को दस्तावेजों में निर्दिष्ट धनराशि को रिलीज करेगा।

4(6) संभरक के लिये ए/पी जारी करने के लिये और भुगतान की व्यवस्था करने के लिये बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्चे, भारत में आयातक के संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किये बिना ही निर्धारित किये जायेंगे।

खंड-5 रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व :

5(1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जायेंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबंध-3 के ण में उल्लिखित हैं) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सैट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिये कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू एस डालर/पौण्ड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उन धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिये 12% प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिये 18% प्रति वर्ष की दर से हिसाब लगा कर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 और सं. 35-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 26-8-83 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है के लिये देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों को येन/यू एस डालर पौंड धनराशि के बराबर रुपये की गणना करने के लिये अपनायी जाने वाली विनियमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की स्थिति मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये। इस संदर्भ में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जायेगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है अपने बैंकरों से दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पहले लाइसेंसधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि देय धनराशि सही रूप से सरकारी लेखे में जमा कर दी गई है, लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चय कर देना चाहिये कि असाधारण परिस्थितियों में मूल पोतलदान दस्तावेजों के बगैर सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से माल का वितरण प्राप्त कर लेने पर भी धनराशि सरकारी लेखे में शीघ्र जमा करा दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिये वह "के डिपॉजिट्स एण्ड एडवान्सिज-843-सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसैट्रा एब्राड परचेज ग्रान्ट ऐड फ्रोम गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1985-86 (येन 1.584 बिलियन ग्रान्ड ऐड ऋण सहायता।

5(2) उल्लिखित धनराशि चालान के दाहिने और कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिये या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक (हुण्डी कर्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्राषक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिये धन प्रेषण करना चाहिये।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी माग किये जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारतीय बैंक को ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाये। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिये कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 2-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71, के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74/आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किये गये हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिये :—

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक ।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किये जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाये गये ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिये यह गिना जायेगा ।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(ब्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिये की जानी है)

उसके पश्चात् सी ए ए एण्ड ए द्वारा जारी किये गये भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिये।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिये कि रुपये का निक्षेप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर निरपवाद रूप में किया जाना चाहिये और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए एण्ड ए, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जायेगा।

5(4) भारत में संबद्ध बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निवेशों का धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिये और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिये।

खंड-6 विविध शर्तें :

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट :

भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उनके अधीन किये गये भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होने वाली हैं, उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी ए ए एण्ड ए, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिये।

6(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना :

लाइसेंसधारी को चाहिये कि वे आयात लाइसेंस के उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

6(3) विवाद :

यह समझ लेना चाहिये कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उनके लिये भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ-साफ "भुगतान के नियम" के अधीन अनुबन्ध-1 में दर्शाई जानी चाहिये। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिये।

6(4) भविष्य अनुदेश :

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों में संबंधित जापान से 1985-86 के लिये अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गयी शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जायेगी।

6(6) अनुबंधों की सूची :

अनुबंध-1	पात्र स्रोत देशों की सूची
अनुबंध-2	पात्र पण्य वस्तुओं की सूची
अनुबंध-3	भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये आवेदन करने का प्रपत्र
अनुबंध-4	भुगतान के लिये प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र

अनुबंध-1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) ओ ई सी डी देश

आस्ट्रेलिया

कनाडा

फिनलैंड

जर्मनी संघीय गणराज्य

आइसलैंड

इटली

लक्जमबर्ग

न्यूजीलैंड

पुर्तगाल

स्वीडन

तुर्की

बेलजियम

डेनमार्क

फ्रांस

यूनान

आयरलैंड

जापान

दी नीदरलैंड

नार्वे

स्पेन

स्विटजरलैंड

दि यूनाइटिड किंगडम और यूनाइटिड स्टेट्स

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) नान-ओ पी ई सी विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिश्र

तुनीशिया

मोरक्को

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला

बुरून्डी

प वर्डी द्वीप समूह

चाड

इथोपिया

कांगो, पमोह गणराज्य

घाना

बोत्सवाना

केमेरून

केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र

कमोरी द्वीप समूह

गेबिया

इक्वेटोरियल गाईना

गिनी

आइवरी कोस्ट

लेसोथे

मारितेनिया

मोजाम्बीक

पुर्तगाल गिनी

रोडेशिया

सेंट हेलिना और डेप (2)

सैनेगाल

सिमरा लिओन

सूडान

टेरी अफार्स और इस्सास

युगाण्डा

अपर वोल्टा

जाम्बिया

कीनिया
मालागासी गणतंत्र
मारीशस
नाइजर
रि-युनियन
रवान्दा
सौ टोम प्रिन्सीपि
सिचिलीज
सोमालिया
स्वाजीलैंड
टोगो
तंजानिया गणतंत्र संघ
जायरे गणतंत्र

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रवेश करनेको द्वीप समूह।
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित : असेन्शन, ट्रिस्टन'डा इन एक्सेसिबल्स, नाइटिंगेल, गफा
(3) ऐन समूह, अरवा, बोनाइरे, क्यराकाओ सबा, सेंट युस्टाशिट, सेंट मारटिन (दक्षिणी भाग)।

3. अमेरिका-उत्तरी और केन्द्रीय
बेहमस
बेलाइज
कोस्टारिका
डोमिनिकल गणतंत्र
गुआडिलागप
हैती
जैमेका
बारबाडोज
बरमडा
क्यूबा
एल साल्वाडोर
ग्वाटेमाला
होन्डरस
माटिनिकक्यू
मैक्सिको
निकारगुआ
सैंट पियरी और मिल्युलोन
वैस्ट इण्डिज (आ०) एन०आई०ई०
(क) संबंधित राज्य (1)
(ख) आश्रित राज्य (2)
मीदरलैंड
पनामा
ट्रिनिडाड और टाबागो
4. दक्षिणी अमरीका
अर्जेन्टीना
ब्राजील
कोलम्बिया
फांसिसी गिनी
पाराग्वे
सूरिनाम
बोलिविया
चिली
फाल्कलैंड द्वीप समूह
गुयाना
पेरु
उरुग्वे
5. मध्य पूर्वी एशिया
बेहरीन
जोर्डन
ओमन
यूनाइटिड अरब अमिरात
यमन जनवादी डी०आर० (4)
इजराइल
लेबनान
सिरयाई अरब गणतंत्र
यमन अरब गणतंत्र (3)
6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
भूटान
मालद्वीप
पाकिस्तान
बांगला देश
बर्मा
नेपाल
श्री लंका
7. सुदूर पूर्व एशिया
ब्रुनेई
खेमर गणतंत्र
लाओस
मलेशिया
सिंगापुर
थाईलैंड
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र
हांगकांग
कोरिया गणतंत्र
मकाओ
फिलीपाइन
ताइवान
तिमोर
गणतंत्र

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेंट क्रिस्टोफे), नेविस अंगुइला, सेंट लूसिया और सेंट विंसेंट।

(2) मैन आई लैण्ड, मोन्सेरेट, गेमान, तुर्को और काइकोस और ब्रिटिश वर्जिनद्वीप समूह।

(3) अजमन, दुबई, फजाइरह, रास अल खेमाह, शेरजाह और उम्मल क्वेवन।

(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।

(5) सोसाइटी आईलैंड्स समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए। अस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमाटु, जांबियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

8.

कोक द्वीप समूह

गिल गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप

नौरू

न्यूहेब्रिडिस (ब्रि० और फ०)

पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य), (6)

फिजी

फ्रांसिसी पौलिनेशिया (5)

न्यू कोलेडोनिया

हिवू

पापुआ न्यू गिनी

सोलामन द्वीप समूह (ब्रि०)

वालिस और फतुना

टोंगो

पश्चिम समाओ

9. यूरोप

साइप्रस

ग्रीक

स्पेन

यूगोस्लाविया

जिब्राल्टर

माल्टा

तुर्की

खण्ड-2 ओ०पी०ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश:

अल्जीरिया

बोलिविया

गेबान

इक्वेडोर

ईरान

कुवैत

आबूधाबी

सउदी अरब

लीबियाई अरब गणतंत्र

नाइजीरिया

वेनेजुएला

ईराक

कातार

इन्डोनेशिया

अनुबन्ध-2

पात्र पण्य सूची

1. रोलज

2. विशेष इस्पात और मिश्र-धातु इस्पात सहित इस्पात

3. ट्रकों और ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे

4. रसायन

5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कच्चा माल।

6. बिजली के हुकों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे।

7. मशीनरी, संघटक, संयोजक, फालतू पुर्जे और कच्चा माल।

8. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनरी और उपस्कर

9. तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए मशीनरी, उपस्कर और फालतू पुर्जे।

10. उर्वरक और ऐसी अन्य मदें, जिन पर आपस में सहमति हो।

अनुबन्ध-3

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र"

सं.: दिनांक:

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग,
यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग,
प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001.

विषय:—1985-86 के लिए येन 1,584 बिलियन जापानी ऋण अनुदान सहायता येन के अधीन जापान से आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से जो कि... आयात के संबंध में है संबद्ध संभरक के नाम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस की सं., दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर-राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि।

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता है।

(झ) संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक

(ञ) संभरक का नाम और पता

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और वितरण का उल्लेख करें) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका वितरण दिखाते हुए।

(ढ) पोत-लदान अनुदेश (यानान्तरण/पार्ट-शिपमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(त) क्या इसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाओं) करली गई हैं। यदि हां, तो ऐसी संविदा का दिनांक और मूल्य।

(थ) वह भारतीय पत्तन जहां उपस्कर/सामग्री पोत द्वारा आती है।

अनुलग्नक-4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)।

विषय : येन 1.584 बिलियन के लिए जापान ऋण अनुदान सहायता के अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्योरे (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्वश्री .... के नाम में .... येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करने पर आपको .... (आयातक के बैंक का नाम और पता) को सभी मूल परक्राम्य दस्तावेजों (परक्राम्य) के साथ-साथ दस्तावेजों का एक पूरा सेट और यदि कोई नकद भुगतान हो उसके सहित संभरक को किए गए भुगतानों के लिए नामे वाउचर की एक प्रति भेजनी चाहिए।

5. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों सहित वसूल किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास/मंत्रालय के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

6. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र .... तक वैध रहेगा।

9. ठेके और भुगतान दिखाने वाले बीजकों से संबंधित सारे पत्राचार में कृपया इस भुगतान प्राधिकार पत्र के शीर्ष पर दी गई संख्या उद्धृत करें।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक .... को उनके पत्र सं. .... दिनांक .... के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक ....

(i) यह प्राधिकार पत्र येन अनुदान के अन्तर्गत आयातों पर शासित संगत लाइसेंसिंग शर्तों के अन्तर्गत जारी किया गया है। आयात/विदेशी भुगतानों के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें और संबंधित सार्वजनिक सूचना/आदेशों इत्यादि को देखें और उपयुक्त कार्रवाई करें।

(ii) उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन/यू. एस. डालर/पौण्ड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकाई गयी धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 31 आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-3-83 और सं. 35/आई टी सी/पी एन/83, दिनांक 26-3-83 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त अधिसूचित किया जाएगा)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जा चुकी है।

(iii) येन धनराशियां जापान के दाहिने ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 (आवेषित और आदाता) के नाम में और उनको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 23-आई टी सी (पी एन) 68, दिनांक 24-10-68 सं. 132-आई टी सी (पी एन) 71, दिनांक 5-10-1971 सं. 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस-843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा एब्राड-परचेजिस एण्ट ग्रेड फ्रॉम दि गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1985-86 (येन 1.584 बिलियन ग्रांट एण्ड क्रेडिट रिलीफ)।

(iv) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता

है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पहली मंजिल यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

(v) जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्णनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गयी '1' प्रतिशत धनर और शिपिंग अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्योरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

(vi) समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्चे और बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा के अन्य खर्चे इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

(vii) विदेशी मुद्रा विनिमय में बैंक के प्राधिकृत डीलर के रूप में कर्तव्य और उत्तरदायित्व भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न ए.डी. परिपत्रों में निर्धारित किए गए हैं। इस संदर्भ में 18-6-1977 के ए.डी. परिपत्र स. 22 की ओर विशेष ध्यान दिलाया जाता है।

4. भारतीय दूतावास टोकियो ।

5. अवर सचिव (टी.सी.) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को उनके आई डी सं.....
जापान दिनांक के संदर्भ में।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th May, 1986

PUBLIC NOTICE NO. 96 ITC(PN)/85—88

Subject : Licensing conditions in respect of Public Sector imports under Japanese Debt-Relief Grant Aid of Yen 1.584 billion for 1985-86.

F. No. IPC/23(28)/85—88.—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.584 billion (Debt Relief) for 1985-86 in respect of Public Sector imports, as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 96-ITC(PN)/85—88 dated the 14th May, 1986. Licensing Conditions in respect of Public Sector imports under Japanese grant Aid of Yen 1.584 billion (Yen 1,584,516,000) (Debt Relief) for 1985-86 extended by the Government of Japan.

Section I.—General Conditions :

I(i) The Japanese Grant Aid of Yen 1.584 billion extended by the Government of Japan is united in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 1.584 billion Japanese Grant Aid for 1985-86". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licencee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licencee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract only signed by both the Indian importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why orders could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit by the licencing authorities who may grant further extension upto a maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licencing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licence.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-87.

Section II—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract.

II(i)(a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one cent or one penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained so on after the date of issue of the import licence.

II(iii) Eligibility of Supplier

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract:—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18-2-86 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.584 billion for 1985-86 "and will be subject to the approval of Government of India".

III(ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay (A|P) which will be issued by the Controller of Aid Account and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1985-86.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional case, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Govt. of India.

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licencee should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the Overseas supplier supported by order confirmation in writing by the Overseas supplier of their photo copies complete in all respects with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the request for issue of A|P" in the form at Annex. III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A|P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Account & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an Authorisation to Pay (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs.Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV(v) The foreign supplier shall, after effecting shipment present through his banker, the documents specified in the A|P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A|P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for rupee deposit.

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's Bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Bank as mentioned in (C) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen|US$| Pound sterling payments made to the supplier along

with interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 12 per cent annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83 and No. 35|ITC (PN)|83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen|US$|£ Payment will be prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No.8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licencee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited in to the Govt. account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances 843-Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad—purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1985-86 (Yen 1.584 billion Grant Aid Debt-Relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 513000000 on the right hand corner of the challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24-10-68 and No 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of Service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC (PN)|74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversation adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit; should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI—Miscellaneous provisions

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence.

**The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in

Annexure—I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI(iv) Future Instructions

The licencee shall promptly comply with directions, instructions or orders issued by the Govt. of India from time to time regarding any and all matters arising or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1985-86 from Japan.

VI(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act). VI(vi) List of Annexures.

Annexure-I List of eligible source countries

Annexure-II List of eligible commodities

Annexure-III Form of Request for issue of Authorisation to pay (a A/p).

Annexure-IV Form of letter of Authorisation to Pay (A/p).

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

ANNEXURE—I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. OECD Countries

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxemburg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
the united Kingdom and
the United States.

B. Developing Countries & Territories

(b1) Non-OPEC Developing Countries

I. Africa, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II. Africa, South of Sahara
Angola
Botswana
Burundi
Camaroon
Cape Cards Islands
Central African Rep
Chad
Comoro Islands
Congo, People's
Republic of
Dahomay (1)
Equatorial Guinea
Ethopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesothe
Libaria
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and Dep (2)
Sao Tome and Principee
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro, Afars and
Isses
Tago
Uganda
Un. Rep. of Tenazania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinae, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough

(3) Main islands, Aruba, Fonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit, St. Martin (Southern Part).

III. AMERICA, North and Cent

Bahamas
Barbodosen
Belize
Barmuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Maxico
Netherlands Atilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tabago
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Fulkland Islands
French Guiana
Guyana
Paragusy
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Amirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R.(4)

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Burnei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thalland
Timer
Vietnam, Rep. of
Viet-Nam Dam. Rap.

(1) Main islands; Antiguia, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands : Montserrant, Gayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

(3) IAjman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaiman, Sharjah and Ummal Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (Including Tahiti), The Austral Islands, the Tuametu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

VIII. Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Pelynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New B Hebrices (Br. and Fr.)
Hieu
Pecific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tongo
Wallis and Futyna
Western Samoa

IX. EUROPE
Cyrus
Gibralter
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC
Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezula
Iran
Iraq
Kuwait
Qaner
Saudi Arabia
AbuDhabi
Indonesia

ANNEXURE—II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

1. Rolls
2. Steel including special steel & alloy steel
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors
4. Chemicals
5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Ventures.
6. Components, attachments and spares for power tillers
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.
8. Machinery and equipment for the Small Scale Sector.
9. Machinery, equipment and spares for the Oil & Natural Gas sector
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE—III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORIASATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001

Subject : Import under the Japanese Debt-Relief Aid of Yen 1.584 billion for 1985-86.

Sir,

In connection with the import of———— from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

(a) Name and Address of the Indian Importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F value (in Yen) for which the A|P is required.

(i) Name and date of the contract with Suppliers.

(j) Name and address of the Supplier.

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expecte date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo, (incl. indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment|partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of the Importer's Bank in India.

(p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

(q) Indian port to which the equipment materials are to be shipped.

ANNEXURE-IV

No.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokya (Japan)

Sub. :—Import under Japanese Debt-Relief Grant Aid of Yen 1.584 billion—Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated———————entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen————————to M|s.———————— (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A|P) and endorse a coyp of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A|P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign suppliers, you should send to————————(Name & address of importers' Banker) all the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India, Tokyo' Importer's Bank.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

7. No amendments to A|P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. The A|P will remain valid upto——————'

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to Pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Your faithfully,

Accounts Officer.

Copy forwarded to :--

1. Importer——————with reference to their letter No.—————— dated——————.

2. Importers' Banker——

(i) This authorisation to pay is issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices|orders etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import|foreign payments.

(ii) ————————They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen 1|4 USS|£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo, Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversation as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 12 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 18 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Govt. Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)|83 dated 10-8-83 and No. 35-ITC(PN)|83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be notified if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 23-ITC(PN)|68 dated 24-10-1968. No. 132-ITC (PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K—Deposits and Advances—843—CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid From the Government of Japan" for 1985-86 (Yen 1.580 billion Grant Aid-Debt Relief).

(iv) One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest 1 per cent and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

(vii) The Banks' duties and responsibilities as authorised Dealer in Foreign Exchange are prescribed in various A.D. circulars of the Reserve Bank of India. Specific references in this regard is invited to A. D. Circular No. 22 dt. 18-6-1977.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, (TC) Ministry of Finance,, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001 with reference to ID No. |Jap. dt.

(Accounts Officer)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986